

(4) जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

धारा 13 (3) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी प्रमाण

पत्र

क्रमांक	जन्म अथवा मृत्यु की घटना की जानकारी कहां देवे	शासकीय कार्यालय का नाम	सक्षम अधिकारी का नाम	आवेदन तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज / चाही गई औपचारिकताएं
1	एक वर्ष के पूर्व की घटनाओं के पंजीयन होने पर	कार्यालय कलेक्टर	अनुविभागीय दण्डाधिकारी / कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (शहर)	चाही गई औपचारिकतायें - <ol style="list-style-type: none">निर्धारित प्रारूप में आवेदन व शपथ पत्र।अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु शाखा नगर निगम का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।पटवारी/राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन व स्थल पंचनामा।यदि जन्म अस्पताल में हुआ हो तो अस्पताल का प्रमाण पत्र एवं यदि आवेदक साक्षर हो, तो तद् अंकसूची जिसमें आवेदक की जन्म तिथि का उल्लेख हो।यदि मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो श्मशान घाट का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। यदि उक्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाती है तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी धारा 13 (3) जन्म/मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र जारी कर रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु को प्रेषित कर सकता है। दण्डाधिकारी (शहर) के द्वारा जाँच उपरांत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने पर व 10 रु. विलम्ब शुल्क देने पर पंजीयन हो सकेगा।